भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 5115

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 24 अप्रैल, 2015/4 वैशाख, 1937 (शक) को दिया गया)

गैर-पंजीकृत कंपनियां

5115. श्री भगवंत खुबा :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में प्रचालित बहुत सी गैर-पंजीकृत कंपनियों का संज्ञान लिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत देश में प्रचालित गैर-पंजीकृत या अनिगमित कंपनियों की संख्या कितनी है; और
(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा ऐसी कंपनियों के विरूद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (घ) : संगत अवधि में दो मामले जानकारी में आए हैं -

(i) स्पीकएशिया ऑनलाइन पीटीई लिमिटेड (सिंगापुर में निगमित);
(ii) कृषि विपदन विकास लिमिटेड;

स्पीकएशिया ऑनलाइन पीटीई लिमिटेड के कार्यों की जांच की गई है और कंपनी अधिनियम, 1956 के गैर-अनुपालन के संबंध में अभियोजन दायर करने के अनुदेश जारी किए गए हैं। जांच रिपोर्ट उपयुक्त कार्रवाई हेतु अन्य प्रवर्तन/विनियामक एजेंसियों के साथ साझा भी किए गए हैं। कृषि विपदन विकास लिमिटेड के मामले में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 453 के अंतर्गत अभियोजन दाखिल किया गया है।

*****